भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 683

25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

683. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दीना पाटिल:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटिल:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल), सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के निर्माण हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान एसबीएम-यू के अंतर्गत महाराष्ट्र को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शहरों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या एसबीएम-यू के अंतर्गत राज्यों को कम धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने एसबीएम-यू के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों और मूल उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन लक्ष्यों के शीघ्राशीघ्र हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क), (ख), (च) एवं (छ): भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) और देश

के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना है। इस प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 100% स्रोत पृथक्करण, घर-घर जाकर कचरा संग्रहण और कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है।

अब तक 51.99 लाख के मिशन लक्ष्य के मुकाबले 63.63 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है तथा 5.07 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 6.36 लाख सीटी/पीटी का निर्माण किया जा चुका है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, 97.24% वार्डों में अर्थात कुल 96,084 वार्डों में से 93,433 वार्डों में घर-घर जाकर कचरा संग्रहण किया जा रहा है और 90.46% वार्डों में अर्थात कुल 96,084 वार्डों में से 86,925 वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है। 2014 में 14% के मुकाबले, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण प्रतिदिन उत्पन्न कुल अपशिष्ट का 78% है, अर्थात अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रतिदिन उत्पन्न कुल 1,59,078 टीपीडी अपशिष्ट में से 1,23,612 टन (टीपीडी) है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के निर्माण के लिए निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत निधियों का आवंटन पूरे मिशन अवधि के लिए किया जाता है न कि वार्षिक आधार पर महाराष्ट्र राज्य को आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

शीर्षक	आवंटित निधि		जारी निधि			
राशि (करोड़ में)	एसबीएम-यू (2014-2021)	एसबीएम-यू 2.0 (2021-2026)	2014-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	1677.80	3758.50	1298.23	245.22	83.75	625.38

(घ): एसबीएम-यू के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरों में बेहतर स्वच्छता हासिल करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वच्छ सर्वेक्षण' नामक एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है और शहरों की वार्षिक रैंकिंग जारी की जाती है। इसके अलावा, तृतीय पक्ष एजेंसियों के माध्यम से खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) और कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) को वार्षिक प्रमाणपत्र भी मिलते हैं।

(ड.): एसबीएम-यू के अंतर्गत निधियों का आवंटन कुल जनसंख्या में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तथा कुल वैधानिक कस्बों में प्रत्येक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक कस्बों की संख्या के अनुपात के आधार पर किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को निधि वितरण, जनसंख्या और राज्य के क्षेत्रफल के अनुपात को 50:50 से बदलकर 90:10 कर दिया गया है। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए विभिन्न जनसंख्या श्रेणी के शहरों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) दी जाएगी।

(च): संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है। 74वें संविधान संशोधन में शहरों और कस्बों में शासन की सबसे निचली इकाई के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थापना और उन्हें शक्तियों का प्रत्यायोजन अनिवार्य किया गया है। हालाँकि, कुशल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्लूएम) में शहरों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है:

(i) विभिन्न जनसंख्या के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25%, 33% और 50% की अलग-अलग दरों पर शहरों की विभिन्न जनसँख्या श्रेणी में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं जैसे खाद, बायो-मीथेनेशन, अपशिष्ट से ऊर्जा, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ), निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण, यांत्रिक सड़क सफाई, डंपसाइट शोधन, आदि की स्थापना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)। इसके अलावा, सुरक्षित स्वच्छता के लिए आईएचएचएल, सीटी/पीटी, यांत्रिक डीस्लजिंग वाहनों के लिए एसीए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, मल कीचड़ शोधन संयंत्र (एफएसटीपी)/सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)-सह-एफएसटीपी के डिजाइन के लिए एक नया घटक भी शामिल किया गया है।

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन की आयोजना, डिजाइन और संचालन तथा रखरखाव के सभी पहलुओं को कवर करने वाले मैनुअल, परामर्शिकाओं, डिजाइन, प्रोटोकॉल के माध्यम से तकनीकी सहायता।

(iii) मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमगत हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने व संस्थागत क्षमता बनाने हेतु राज्यों और शहरों को क्षमता निर्माण (सीबी) के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

(iv) राज्यों और शहरों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए धनराशि भी प्रदान की जाती है, और शहरों द्वारा जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर नागरिकों तक पहुंच बनाकर जन आंदोलन को तेज करना और स्वच्छ व्यवहार तथा संबंधित कार्यों को संस्थागत बनाना सुनिश्चित किया जाता है, ताकि कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

****

अनुलग्नक

"एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य" के संबंध में दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 683 के भाग (क), (ख), (च) और (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

लक्षित और निर्मित आईएचएचएल का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	आईएचएचएल (इकाइयां)	
		मिशन लक्ष्य	पूर्ण
1	आंध्र प्रदेश	1,93,426	2,43,764
2	अण्डमान और निकोबार	336	336
3	अरुणाचल प्रदेश	12,252	11,602
4	असम	75,720	78,783
5	बिहार	3,83,079	4,04,428
6	चंडीगढ़	4,282	6,117
7	छत्तीसगढ़	3,00,000	3,26,435
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,878	2,378
9	दिल्ली	5,000	776
10	गोवा	8,020	3,801
11	गुजरात	4,06,388	5,60,046
12	हरियाणा	71,000	66,638
13	हिमाचल प्रदेश	11,266	6,743
14	जम्मू और कश्मीर	59,600	51,246
15	झारखंड	1,61,713	2,18,700
16	कर्नाटक	3,50,000	3,93,278
17	केरल	29,578	37,207
18	लद्दाख	400	434
19	मध्य प्रदेश	5,12,380	5,79,642
20	महाराष्ट्र	6,29,819	7,22,392
21	मणिपुर	43,644	40,705
22	मेघालय	5,066	1,604
23	मिजोरम	16,441	13,324
24	नागालैंड	23,427	21,471
25	ओडिशा	1,32,509	1,61,362
26	पुदुचेरी	5,681	5,189
27	पंजाब	1,02,000	1,03,683
28	राजस्थान	3,61,753	3,68,515
29	सिक्किम	1,587	1,559
30	तमिलनाडु	4,37,543	5,40,866
31	तेलंगाना	1,63,508	1,57,165
32	त्रिपुरा	19,464	22,766
33	उत्तर प्रदेश	8,28,237	9,00,028
34	उत्तराखंड	27,640	27,940
35	पश्चिम बंगाल	5,15,000	2,82,542
	कुल	58,99,637	63,63,465

सीटी/पीटी के लक्ष्य और निर्माण का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	कुल सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्या)	
		मिशन लक्ष्य	पुरा हो गया
1	आंध्र प्रदेश	21,464	17,799
2	अण्डमान और निकोबार	126	609
3	अरुणाचल प्रदेश	387	89
4	असम	3,554	3,356
5	बिहार	26,439	28,677
6	चंडीगढ़	976	2,512
7	छत्तीसगढ़	17,796	18,832
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र	219	615
9	दिल्ली	11,138	28,256
10	गोवा	507	1,270
11	गुजरात	31,010	24,149
12	हरियाणा	10,393	11,374
13	हिमाचल प्रदेश	876	1,700
14	जम्मू और कश्मीर	3,585	3,451
15	झारखंड	12,366	9,643
16	कर्नाटक	34,839	36,556
17	केरल	4,801	2,872
18	लद्दाख	194	194
19	मध्य प्रदेश	40,230	29,867
20	महाराष्ट्र	59,706	1,66,465
21	मणिपुर	620	581
22	मेघालय	362	152
23	मिजोरम	491	1,324
24	नागालैंड	478	238
25	ओडिशा	17,800	12,211
26	पुदुचेरी	1,204	836
27	पंजाब	10,924	11,522
28	राजस्थान	26,364	31,300
29	सिक्किम	142	268
30	तमिलनाडु	59,921	92,744
31	तेलंगाना	15,543	15,465
32	त्रिपुरा	586	1,089
33	उत्तर प्रदेश	63,451	70,370
34	उत्तराखंड	2,611	4,694
35	पश्चिम बंगाल	26,484	5,746
	कुल	5,07,587	6,36,826

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति

क्र. सं.	राज्य	100% डोर टू डोर कलेक्शन वाले वार्ड, संख्या।	कुल वार्ड (संख्या)	कुल अपशिष्ट उत्पादन (मीट्रिक टन/दिन)	कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण
1	आंध्र प्रदेश	3,826	3,877	6,378	86%
2	अण्डमान और निकोबार	24	24	62	87%
3	अरुणाचल प्रदेश	488	501	147	8%
4	असम	1,031	1,061	1,296	50%
5	बिहार	5,033	5,701	6,505	27%
6	चंडीगढ़	35	35	430	100%
7	छत्तीसगढ़	3,255	3,255	2,472	100%
8	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	43	43	87	100%
9	दिल्ली	271	271	10,521	82%
10	गोवा	225	225	163	87%
11	गुजरात	1,388	1,398	10,764	95%
12	हरियाणा	1,656	1,667	6,217	85%
13	हिमाचल प्रदेश	586	595	341	97%
14	जम्मू और कश्मीर	1,098	1,099	849	36%
15	झारखंड	925	1,061	2,267	54%
16	कर्नाटक	7,056	7,240	8,770	90%
17	केरल	3,533	3,533	1,457	99%
18	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	26	26	0	0%
19	मध्य प्रदेश	7,587	7,591	6,603	99%
20	महाराष्ट्र	6,660	6,662	23,530	94%
21	मणिपुर	303	305	180	84%
22	मेघालय	89	123	209	29%
23	मिजोरम	205	209	3	0%
24	नागालैंड	210	420	137	4%
25	ओडिशा	2,030	2,035	1,768	93%
26	पुदुचेरी	97	116	409	13%
27	पंजाब	3,180	3,199	3,580	91%
28	राजस्थान	8,394	8,585	7,669	42%
29	सिक्किम	51	51	71	75%
30	तमिलनाडु	12,748	12,774	16,111	61%
31	तेलंगाना	3,618	3,625	11,122	99%
32	त्रिपुरा	334	334	323	99%
33	उत्तर प्रदेश	13,842	14,160	19,162	87%
34	उत्तराखंड	1,280	1293	1,600	93%
35	पश्चिम बंगाल	2,306	2990	7,876	10%
	कुल/औसत	93,433	96,084	1,59,078	78%

****